



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 10/2025

दायर दिनांक 24.01.2025

अनवान

01. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... वादी

बनाम

1. कान्तीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
2. प्यारीदेवी पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
3. प्रेमबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
4. शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सज्जनीबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
6. सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) (नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)
7. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू जिला चित्तौड़गढ (राज0)
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री अनिल कुमार धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 23 / 12 / 2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 24.09.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या 170 पर स्थित आराजी नम्बर 140 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 235 रकबा 0.2671 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 350 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 417 रकबा 0.4209 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 605/305 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 607/318 रकबा 0.1214 हैक्टेयर कुल किता 8 रकबा 2.3877 हैक्टेयर भूमि में वादी के 5/16 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 02

मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौरिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौरिया ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2025 / 2026 दिनांक 12.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी नकल की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अभिवक्ता वादी को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादी की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान करतकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखा में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा10 देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बंगू	कल्याणपुरा	228 / 1	0.1923
			233 / 1	0.0100
			417 / 1	0.1315
	योग		किता 03	0.3338
02	शिवलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 5/21 जाति धाकड़ सा10 देह	कल्याणपुरा	228 / 2	0.3824
			233 / 2	0.0628
			417 / 2	0.2894
	योग		किता 03	0.7346
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा10 देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बंगू	कल्याणपुरा	140 / 1	0.1391
			235 / 1	0.0835
			607 / 318 / 2	0.0379
	योग		किता 03	0.2605
	योग	कल्याणपुरा	350 / 1	0.1011
			605 / 305 / 2	0.0505
			किता 02	0.1516
01	शिवलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा10 देह	कल्याणपुरा	140 / 2	0.3061
			235 / 2	0.1836
			607 / 318 / 1	0.0835
	योग		किता 03	0.5732
	योग	कल्याणपुरा	350	0.2226
			605 / 305	0.1114
			किता 02	0.3340



उप खण्ड अधिकारी
बिजौरिया जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

पेज संख्या 03

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल
मार्ग प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करें।

3

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

वर्णय आज दिनांक २३ / १२ / २०२५ को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां





राजस्थान सरकार

मूल वार में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

भीलवाडी अधिकाारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 10/2025

अनवान

दायर दिनांक 24.01.2025

01. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

- कान्हीबाई पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
- प्यारीदेवी पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
- प्रेमबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
- शिवलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
- सज्जनीबाई पुत्री बालू जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
- सम्पति पुत्री शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **(नाम विलोपित दिनांक 18.11.2025)**
- शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेगू जिला विलोडगढ (राज0)
- भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... मद्दयान

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 23 / 12 / 2025

डिक्री दिनांक : 23 / 12 / 2025



यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल करई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां

वहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री अनिल कुमार धाकड़ एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश

चन्द धाकड़ को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

तमातार पेज संख्या 02 पर

डब्ल्यूएच अधिकारी

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

गादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काराकारी अधिनियम अन्तिम रूप में
 डिफ्री किया जाकर डिफ्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के अगले
 अंकित खतदारान के नाम ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा के राजस्व अभिलेखों में
 पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खतदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू योग	कल्याणपुरा	228 / 1 233 / 1 417 / 1	0.1923 0.0100 0.1315
02	शिवलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 5/21 जाति धाकड़ सा0 देह योग	कल्याणपुरा	228 / 2 233 / 2 417 / 2	0.3824 0.0628 0.2894
01	राजकुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बेंगू योग	कल्याणपुरा	140 / 1 235 / 1 607 / 318 / 2	0.1391 0.0835 0.0379
01	शिवलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह योग	कल्याणपुरा	किता 03 350 / 1 605 / 305 / 2	0.2605 0.1011 0.0505
01	शिवलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा0 देह योग	कल्याणपुरा	किता 02 140 / 2 235 / 2 607 / 318 / 1	0.1516 0.3061 0.1836 0.0835
			किता 03	0.5732
			कल्याणपुरा 350 605 / 305	0.2226 0.1114
			किता 02	0.3340



इसतानुसार डिफ्री मूर्तिब हो। खर्चा फसकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिया Nil बाबत
 Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूल यात्री तक Nil का अदा करे।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप-खण्ड अधिकारी

जयपुर जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 03

रिसे किया गया।

बशर्त मेरे दरस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 12 वर्ष 2025 को

नोट :- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयों का प्रस्तुत करने से डिक्री आज
दिनांक 23 / 12 / 2025 को मुक्ति की गई।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अदिकारी
बिनौरिया

मुद्र	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-	-	स्टाम्प अरजी दया	-	-
स्टाम्प वकीलात नामा	-	-	स्टाम्प वकीलात नामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
मेहनताना वकील ()	-	-	मेहनताना वकील ()	-	-
खर्चा गावाह	-	-	खर्चा गावाह	-	-
फीस कमीशनर	-	-	फीस कमीशनर	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
मुनफरिक	-	-	मुनफरिक	-	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अदिकारी
बिनौरिया